न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : ममता सैनी, आर.जे.एस.

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या : 389 / 2015

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 46 / 2015 थाना चारभुजा

C.I.S. No. : 617/2015

राजस्थान राज्य .... अभियोगी

<u>वि रू द्ध</u>

1. अर्जुनसिंह पुत्र श्री चैनसिंह, निवासी— वागरोदा की बावडी, थाना मावली जिला उदयपुर।
2. रविन्द्रसिंह पुत्र श्री मनोहरसिंह, निवासी— वागरोदा की बावडी, थाना मावली हॉल कर्मचारी कोलोनी तहसील रोड, नाथद्वारा
3. नारायणसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह, लिम्बावास, थाना खेरोदा जिला उदयपुर।
4. उदयसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह, निवासी— डूंगरजी का गुडा, थाना चारभुजा जिला राजसमन्द। **(मफरूर)**

..... अभियुक्तगण

<u>अपराध धारा 394,120बी भारतीय दण्ड संहिता</u>

उपस्थितः
1. श्री अनिल कुमार मानवताल, अभियोजन अधिकारी राज्य की ओर से।
2. श्री घनश्यामसिंह भाटी, अधिवक्ता — अभियुक्तगण की ओर से।

<u>—:: निर्णय ::—</u> **<u>दिनांक 25.11.2025</u>**

1. यहां यह उल्लेख किया जाना समीचीन है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त उदयसिंह मफरूर है जिससे यह निर्णय केवल अभियुक्तगण अर्जुनसिंह, रविन्द्रसिंह, नारायणसिंह के संबंध में ही पारित किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार परिवादी मुकेश कुमार ने दिनांक 07.04.2015 को थानाधिकारी, पुलिस थाना चारभुजा के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 06.04.2015 को उसकी गाडी आरजे.30 जीए 2220 में उसने परचुनी का सामान भरकर सप्लाई हेतु सुमेरपुर व झालना खाली करने हेतु ड्राईवर लीलाधर व खलासी मोहनलाल के साथ उक्त गाडी करीब 03 बजे दिन में रवाना की। सुमेरपुर माल खाली करने

के बाद माल प्राप्तकर्ता प्रकाश भाई ने उसे फोन पर बताया कि हिसाब किताब के 08 लाख रूपए का पैकेट उसने ड्राईवर को सम्भला दिया। इसके बाद सुबह करीब 03 बजे ड्राईवर ने फोन कर बताया कि निबडी गांव से आगे एक मोटर साईकिल पर सवार तीन व्यक्तियों ने मोटर साईकिल आडे लगाकर गाडी रूकवाकर उसके साथ मारपीट की तथा रूपयों का पैकेट, मोबाईल, पर्स आदि लेकर भाग गए हैं। जिस पर वह नाथद्वारा से रवाना होकर निंबडी पहुंचा। जहां पर ड्राईवर लीलाधर व खलासी मोहनलाल मिले। जिन्होंने बताया कि सुमेरपुर से रूपयों का पैकेट ड्राईवर सिट के पिछे रखकर आ रहे थे, कि निम्बडी से थोडा आगे करीब 02.30 बजे एक मोटर साईकिल पर तीन व्यक्ति, जिनमें से दो ने हेलमेट लगा रखा था व एक ने मूंह बांध रखा था, ने मोटर साईकिल को उनकी गाडी के आगे रोकी। इतने में एक व्यक्ति ने उसे पकडकर नीचे खींच लिया व मारपीट कर उसका पर्स, लाईसेंस, रूपये व कागजात छीन लिए। एक व्यक्ति खलासी को मारपीट कर खींचकर दूर ले गया व उसका मोबाईल छीन लिया व एक व्यक्ति ने गाडी के अंदर चढकर सीट के पिछे पडा रूपयों का बेग ले लिया व भाग गए। रूपए एक खाकी रंग के कार्टुन में थे जिस पर गोल्ड टोबेको लिखा हुआ था......आदि।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना चारभुजा द्वारा प्रथम सूचना संख्या 46/2015 अर्न्तगत धारा 394 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्तगण अर्जुनसिंह, रविन्द्रसिंह, नारायणसिंह व उदयसिंह के विरूद्ध धारा 394,120बी भारतीय दण्ड संहिता में आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय में आरोप–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 394,120बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण नियमित फौजदारी दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. अभियुक्तगण को आरोप अन्तर्गत धारा 394,120बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत पृथक से विरचित कर सुनाये एवं समझाये गये तो अभियुक्तगण ने सुन समझकर आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में पी.ड.1 हिरालाल, पी.ड.2

मुकेश, पी.ड.3 लीलाधर, पी.ड.4 गिरधारीलाल, पी.ड.5 धापू, पी.ड.6 मोहनलाल, पी.ड.7 मनोहरसिंह, पी.ड.8 पुष्करलाल, पी.ड.9 नरेश, पी.ड.10 नगेन्द्र, पी.ड.11 रानी भटिया, पी.ड.12 गोपाल चारण, पी.ड.13 देवकुमार, पी.ड.14 माधवसिंह, पी.ड.15 भगवतसिंह, पी.ड.16 प्रकाश चन्द्र, पी.ड.17 भगवानलाल, पी.ड.18 रघुनाथ, पी.ड.19 संजय सोनी, पी.ड.20 लक्ष्मण सेन, पी.ड.21 घनश्यामसिंह के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा मौका प्रपी.1, लिखित रपोर्ट प्रपी.2, चाक एफ.आई.आर. प्रपी.3, फर्द बरामदगी एवं जब्ती रूपए मुलजिम अर्जुनसिंह प्रपी.4, फर्द बरामदगी एवं जब्ती रूपए मुलजिम रविन्द्रसिंह प्रपी.5, फर्द बरामदगी एवं जब्ती रूपए मय पर्स प्रपी.6, फर्द बरामदगी एवं जब्ती रूपए मय कागजात प्रपी.7, लाईट बिल प्रपी.8, पुलिस बयान मोहनलाल प्रपी.9, लाईट बिल प्रपी.10, पुलिस बयान मनोहरसिंह प्रपी.11, फर्द बरामदगी व जब्ती रूपए मुलजिम नारायणसिंह प्रपी.12, फर्द बरामदगी व जब्ती रूपए मुलजिम उदयसिंह प्रपी.13, फर्द जब्ती प्रपी.14, फर्द बरामगी स्थल मुलजिम नारायणसिंह प्रपी.15, फर्द बरामगी स्थल मुलजिम उदयसिंह प्रपी.16, फर्द तस्दीक घटना स्थल मुलजिम अर्जुनसिंह प्रपी.17, फर्द तस्दीक घटना स्थल मुलजिम नारायणसिंह प्रपी.18, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम रविन्द्रसिंह प्रपी.18, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम अर्जुनसिंह प्रपी.19, पुलिस बयान रानी प्रपी.19, पुलिस बयान प्रकाश चन्द्र प्रपी.20, पुलिस बयान गोपाल प्रपी.20, मालखाना रजिस्टर की नकल प्रपी.21, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम नारायणसिंह प्रपी.22, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम उदयसिंह प्रपी.23, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना मुलजिम अर्जुनसिंह प्रपी.24, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना रविन्द्रसिंह प्रपी.25, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना नारायणसिंह प्रपी.26, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना उदयसिंह प्रपी.27, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना नारायणसिंह प्रपी.28, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना मुलजिम अर्जुनसिंह प्रपी.29, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना नारायणसिंह प्रपी.30, धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना उदयसिंह प्रपी.31, फर्द सुपुदर्गी रूपए प्रपी.32 आदि दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया गया।

नोटः– फर्द तस्दीक घटना स्थल मुलजिम नारायणसिंह व फर्द गिरफ्तारी मुलजिम रविन्द्रसिंह पर सहवन से दो बार प्रपी.18, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम अर्जुनसिंह व पुलिस बयान रानी पर सहवन से दो बार प्रपी.19 एवं पुलिस बयान प्रकाश चन्द्र व पुलिस बयान गोपाल पर सहवन से दो बार प्रपी.20 अंकित हो गए हैं।

6. अभियुक्तगण का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता लेखबद्ध किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने गवाहान् के बयानों को गलत होना तथा उसे झूठा फंसाया जाना कथित किया तथा अभियोजन साक्ष्य के दौरान पुलिस बयान मुकेश प्रडी.1, पुलिस बयान लीलाधर प्रडी.2 प्रदर्शित करवाए गए।

7. दौराने बहस विद्वान् अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

8. इसके विपरीत विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्तगण ने निवेदन किया कि घटना का कोई भी स्वतंत्र एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं। किसी भी साक्षी ने यह साक्ष्य नहीं दी है कि अभियुक्तगण के कब्जे से ही माल व रूपए बरामद हुए हो अर्थात अभियुक्तगण से जब्तशुदा माल व रूपए बरामद हुए हो यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जावे।

9. उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली एवं सुसंगत विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन व परिशीलन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू निम्न प्रकार हैः–

01. क्या अभियुक्तगण अर्जुनसिंह, रविन्द्रसिंह व नारायणसिंह ने दिनांक 07.04.2015 को रात्री में 02.30 आरक्षी केन्द्र चारभुजा के क्षेत्र नीमडी के लोग मार्ग पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचते हुए वाहन संख्या आर.जे.30 जीए 2220 के आगे मोटर साईकिल लगाकर वाहन चालक लीलाधर व खलासी मोहन के साथ मारपीट कर गाडी में रखे 08 लाख रूपए,

लीलाधर का पर्स, 500/– रूपए, लाइसेंस आदि उनकी सम्मति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर लूट कारित की?

02. यदि हां तो उचित दण्ड क्या हो?

10. अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त अवधारणीय बिन्दू के समर्थन में कुल 21 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है। लूट से संबंधित प्रकरण में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना आवश्यक है कि मुलजिमान् द्वारा परिवादी को उपहति या सदोष अवरोध के भय में डालकर उसके कब्जे में से माल ले जाया गया हो। तत्पश्चात् यह निर्धारण करना होता है कि लूट किया हुआ माल मुल्जिम के कब्जे में से बरामद किया गया है। इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का सुक्ष्मता से अवलोकन किया जावे तो एफ.आई.आर.कर्ता मुकेश कुमार ने थानाधिकारी चारभुजा के समक्ष पेश की गयी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 में मुख्य रूप से यह अभिकथित किया है कि दिनांक 06.04.2015 को उसकी गाडी आरजे.30 जीए 2220 में उसने परचुनी का सामान भरकर सप्लाई हेतु सुमेरपुर व झालना खाली करने हेतु ड्राईवर लीलाधर व खलासी मोहनलाल के साथ उक्त गाडी करीब 03 बजे दिन में रवाना की। सुमेरपुर माल खाली करने के बाद माल प्राप्तकर्ता प्रकाश भाई ने उसे फोन पर बताया कि हिसाब किताब के 08 लाख रूपए का पैकेट उसने ड्राईवर को सम्भला दिया। इसके बाद सुबह करीब 03 बजे ड्राईवर ने फोन कर बताया कि निबडी गांव से आगे एक मोटर साईकिल पर सवार तीन व्यक्तियों ने मोटर साईकिल आडे लगाकर गाडी रूकवाकर उसके साथ मारपीट की तथा रूपयों का पैकेट, मोबाईल, पर्स आदि लेकर भाग गए हैं। जिस पर वह नाथद्वारा से रवाना होकर निंबडी पहुंचा। जहां पर ड्राईवर लीलाधर व खलासी मोहनलाल मिले। जिन्होंने बताया कि सुमेरपुर से रूपयों का पैकेट ड्राईवर सिट के पिछे रखकर आ रहे थे, कि निम्बडी से थोडा आगे करीब 02.30 बजे एक मोटर साईकिल पर तीन व्यक्ति जिनमें से दो ने हेलमेट लगा रखा था व एक ने मूंह बांध रखा था ने मोटर साईकिल को उनकी गाडी के आगे रोकी। इतने में एक व्यक्ति ने उसे पकडकर नीचे खींच लिया व मारपीट कर उसका पर्स, लाईसेंस रूपये व कागजात छीन

लिए। एक व्यक्ति खलासी को मारपीट कर खींचकर दूर ले गया व उसका मोबाईल छीन लिया व एक व्यक्ति ने गाडी के अंदर चढकर सीट के पिछे पडा रूपयों का बेग ले लिया व भाग गए। रूपए एक खाकी रंग के कार्टुन में थे जिस पर गोल्ड टोबेको लिखा हुआ था......आदि।

11. इसी के साथ उक्त रिपोर्ट के अनुक्रम में एफ.आई.आर.कर्ता मुकेश कुमार न्यायालय के समक्ष गवाह पी.ड.2 के रूप में परीक्षित हुआ है तथा उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि उसने दिनांक 06.04.15 को उसकी गाड़ी आर जे 30 जी ए 2220 में परचुनी का सामान भरकर सप्लाई करने के लिए ड्राइवर लीलाधर व खलासी मोहनलाल को नाथद्धारा से रवाना किया। सुमेरपुर में माल खाली करने के बाद वहां व्यापारी प्रकाश, जिसने माल प्राप्त किया था, ने उसे फोन करके बताया कि उसके हिसाब—किताब के 8 लाख रूपये उसने उसके ड्राइवर लीलाधर को संभला दिया है तथा ड्राइवर व खलासी गाडी लेकर रवाना हो गये है। अगले दिन सुबह करीब 3 बजे के आसपास उसके ट्रक के ड्राइवर लीलाधर ने फोन कर बताया कि निमड़ी गांव के आगे उनकी गाड़ी के आगे एक मोटर साइकिल पर बैठे तीन व्यक्तियों ने गाड़ी आड़े लगाकर मारपीट कर 8 लाख रूपये से भरा पैकेट, मोबाइल व पर्स लेकर भाग गये है, सूचना मिलने पर वह नाथद्धारा से रवाना होकर निमडी गांव पहुंचा जहां पर ड्राइवर लीलाधर व खलासी मोहन मिले। ड्राइवर ने उसे बताया कि व्यापारी से 8 लाख रूपये से भरा पैकेट प्राप्त कर ड्राइवर सीट के पीछे रख आ रहे थे कि निमड़ी के आगे एक मोटर साइकिल जिस पर 3 आदमी सवार थे जिनमें से दो ने अपने सिर पर हेलमेट लगा रखे थे। तथा एक ने मुहं पर कपड़ा बांध रखा था। इन्होने मोटर साइकिल को गाड़ी के आड़े लगाकर गाड़ी रूकवा ली तथा उनमें से एक व्यक्ति उसे पकड़कर मारपीट कर उसका पर्स, लाइसेंस, रूपये व कागजात छीन लिये है और दुसरे व्यक्ति ने खलासी मोहनलाल के साथ मारपीट की तथा उसे दूर तक ले गया एवं उसका फोन छीन लिया। तीसरे आदमी ने ट्रक के अंदर चढ़कर सीट के पीछे रखा नोटों का पैकेट व मोबाइल ले लिया। जिस पैकेट में रूपये रखे हुए थे, उस पर गोल्ड टोबेको लिखा हुआ था। इस घटना

की उसने पुलिस थाना चारभुजा पर लिखित में रिपोर्ट पेश की थी जो प्रदर्श पी 02 है, जिसकी चाक एफ आई आर प्रदर्श पी 03 है, नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 है जिन पर उसके हस्ताक्षर है। किन्तु रिपोर्टकर्ता के द्वारा अधिवक्ता अभियुक्तगण की जिरह के दौरान लिखित रिपोर्ट प्रपी.2 स्वयं की कलमी नहीं होकर रिपोर्ट का सी से डी भाग अधिवक्ता द्वारा लिखा जाना व उसे पढकर नहीं सुनाए जाना स्वीकार किया है। साथ ही इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उसके ड्राईवर लीलाधर ने उसे लूट कारित करने वाले किसी व्यक्ति का नाम, उम्र व हुलिए के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी थी, न ही लूट कारित करने वाली मोटर साईकिल के नंबर बताए। साथ ही यह गवाह लीलाधर व मोहन के शरीर पर किसी प्रकार की कोई चोट या लडाई झगडो के निशान नहीं होना स्वीकार करते हुए अपने पुलिस बयान प्रडी.1 का ए से बी भाग जिसमें घटना का सम्पूर्ण वृतांत है, पुलिस को लिखाए जाने से स्पष्ट रूप से इंकार करता है। इस प्रकार उक्त रिपोर्टकर्ता रिपोर्ट प्रपी.2 में वर्णित सम्पूर्ण तथ्य का अंकन करने से इंकार करते हुए ड्राईवर लीलाधर व खलासी मोहन द्वारा मुलजिमान् की पहचान बताने से इंकार करता है।

12. इसी के साथ प्रकरण पर घटना के चश्मदीद गवाह अर्थात महत्वपूर्ण गवाह पी.ड.3 लीलाधर व पी.ड.6 मोहनलाल परीक्षित हुए हैं जिनमें से गवाह पी.ड.3 लीलाधर जो कि वक्त घटना वाहन का ड्राईवर था, अपने मुख्य परीक्षण में तो घटना का वर्णन करता है किन्तु अपने मुख्य परीक्षण में ही वक्त घटना मोटर साईकिल पर तीन आदमीयों के सवार होकर आने व उनमें से दो व्यक्तियों के द्वारा हेलमेट लगाकर रखना एवं एक द्वारा अपना मूंह कपडे से बांध कर रखने का कथन किया है। इस प्रकार यह गवाह अपने मुख्य परीक्षण में ही लूट कारित करने वाले व्यक्तियों की शिनाख्तगी एवं पहचान के संबंध में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं देता है। इसके अतिरिक्त उक्त गवाह अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह के दौरान इस तथ्य को स्वीकार करता है कि उसकी गाडी आर.जे.30 जीए 2220 में घटना वाली दिनांक को किस व्यक्ति ने लूट कारित की, उनका वह नाम नहीं जानता वरन यह गवाह हाजिर अदालत मुलजिमान द्वारा उसके

साथ लूट की घटना कारित करने से स्पष्ट रूप से इंकार करता है एवं यह भी कथन करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा उसके मोबाईल, पर्स व लाईसेंस आदि की लूट नहीं की गई। इसके साथ ही यह गवाह अपने पुलिस बयान प्रडी.2 का ए से बी भाग जिसमें घटना का वृतांत है, पुलिस को लिखाए जाने से इंकार करते हुए पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के संबंध में शिनाख्तगी परेड करवाए जाने से भी इंकार करता है।

13. इसके अतिरिक्त प्रकरण का अन्य महत्वपूर्ण गवाह पी.ड.6 मोहन पत्रावली पर पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा उक्त गवाह अपने मुख्य परीक्षण में ही ड्राईवर लीलाधर को पहचानने से इंकार करता है जबकि रिपोर्टकर्ता पी.ड.2 मुकेश द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रपी.2 व अपने बयानों में यह कथन किया गया है कि घटना वाली दिनांक को लीलाधर ड्राईवर व मोहन उसका खलासी था। इसके साथ ही गवाह पी.ड.6 मोहन अपने मुख्य परीक्षण में ही उसके समक्ष लूट की कोई भी वारदात होने से स्पष्ट रूप से इंकार करता है तथा घटना के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर करता है। इसके साथ ही यह गवाह अभियोजन अधिकारी की जिरह के दौरान अभियोजन अधिकारी द्वारा सुझाए गए इस प्रश्न को गलत बताता है कि वक्त घटना वह मौके पर मौजूद हो एवं उसने घटना के तीनों व्यक्तियों को देखा हो वरन यह गवाह अपने पुलिस बयान प्रपी.9 का ए से बी भाग जिसमें घटना का सम्पूर्ण वृतांत है, पुलिस को लिखाए जाने से इंकार करता है तथा घटना की दिनांक को ट्रक में मौजूद होने से भी स्पष्ट रूप से इंकार करता है। इस प्रकार प्रकरण के दोनो ही महत्वपूर्ण गवाह जिनके साथ लूट की घटना घटित हुई है। गवाह यह साक्ष्य नहीं देते है ंकि मुलजिमान् अर्जुनसिंह, रविन्द्रसिंह, नारायणसिंह के द्वारा ही उनके साथ मारपीट कर उनके मोबाईल, पर्स व आठ लाख रूपए लूट कर ले गये हों। इसके साथ ही यह दोनो ही गवाह मुलजिमान् की शिनाख्तगी के संबंध में भी किसी प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं देते हैं।

14. इसके अतिरिक्त प्रकरण की अन्य अहम गवाह पी.ड.11 रानी जो कि प्रार्थी मुकेश की पत्नी है, पत्रावली पर पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुई है तथा अपनी मुख्य परीक्षा में ही लूट की घटना के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर

करती है एवं अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह के दौरान लीलाधर व मोहन के साथ मुलजिमान् के द्वारा लूट कारित किए जाने के संबध में भी अनभिज्ञता जाहिर करते हुए अपने पुलिस बयान प्रपी.19 का ए से बी व सी से डी भाग जिसमें लूट कारित होने की घटना का वृतांत व लूट कारित करने वाले व्यक्तियों के नाम अंकित है, पुलिस को लिखाए जाने से इंकार करती है। यह गवाह अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह के दौरान पुलिस द्वारा हस्तगत प्रकरण में उसके बयान नहीं लिए जाने एवं प्रकरण की जानकारी होने से भी इंकार करती है।

15. इसके साथ ही प्रकरण का अन्य अहम गवाह पी.ड.12 गोपाल है जो कि रिपोर्टकर्ता मुकेश की दुकान पर सेल्समेन का कार्य करता है। यह गवाह भी पत्रावली पर पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा अपने मुख्य परीक्षण में ही घटना के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए अभियोजन अधिकारी की जिरह के दौरान अपने पुलिस बयान प्रपी.20 का ए से बी व सी से डी भाग जिसमें गवाह द्वारा आठ लाख रूपए मुकेशजी को देने हेतु सुमेरपुर डीलर प्रकाशचंद को देने व लूट कारित होने का वर्णन है, पुलिस को लिखाए जाने से इंकार करता है तथा यह गवाह अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह के दौरान घटना स्थल प्रपी.18 पर पुलिस के द्वारा खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाए जाना स्वीकार करता है।

16. इसके अतिरिक्त पत्रावली पर अन्य गवाह पी.ड.16 प्रकाश चंद परीक्षित हुआ है जिसके संबंध में प्रार्थी का यह कथन है कि उसने मुकेश के ड्राईवर को आठ लाख रूपए दिए थे, यह गवाह भी पत्रावली पर पूर्णतः पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा घटना के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर करते हुए अपने मुख्य परीक्षण में ही यह कथन करता है कि उसको किसी भी व्यक्ति द्वारा रूपए देने के लिए नहीं कहा गया था एवं न ही उसने किसी व्यक्ति को रूपए दिए थे। यह गवाह अभियोजन अधिकारी की जिरह के दौरान भी अभियोजन अधिकारी द्वारा सुझाए गए इस प्रश्न को गलत बताता है कि उसने रूपए के पैकेट को लीलाधर को सम्भलाकर प्रार्थी मुकेश को फोन कर बताया हो वरन यह गवाह अपने पुलिस बयान प्रपी.20 का ए से बी भाग जिसमें मुकेश के कर्मचारी गोपाल द्वारा कलेक्शन के आठ

लाख रूपए उसे देकर मुकेश को देने का कथन अंकित है, पुलिस को लिखाए जाने से इंकार करता है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त गवाहान् के द्वारा यह साक्ष्य नहीं दी गई है कि उन्हें लूट की घटना के बारे में कोई जानकारी हो, न ही यह गवाह इस संबंध में साक्ष्य देते है ंकि मुलजिमान् अर्जुनसिंह, रविन्द्रसिंह, नारायणसिंह के द्वारा लीलाधर व मोहन के साथ लूट कारित की गई हो।

17. जहां तक मुलजिमान् के कब्जे से बरामदशुदा माल 5,80,000 / — रूपए जब्त किए जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में पत्रावली पर गवाह पी.ड.4 गिरधारी, पी.ड.8 पुष्कर, पी.ड.10 नगेन्द्र, पी.ड.19 संजय परीक्षित हुए हैं। उपरोक्त समस्त गवाहान् पत्रावली पर पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा गवाह पी.ड.4 गिरधारीलाल के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में मुलजिम अर्जुनसिंह व रविन्द्रसिंह को पहचानने से इंकार करते हुए उसके समक्ष मुलजमान् अर्जुनसिंह व रविन्द्रसिंह से कुछ भी बरामद नहीं किए जाना कथित करता है। साथ ही यह गवाह अधिवक्ता अभियुक्तगण की जिरह के दौरान इस तथ्य को स्वीकार करता है कि पुलिस ने उसके समक्ष कभी भी कोई रूपए, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि जब्त नहीं किए वरन यह गवाह दौराने जिरह हाजिर अदालत मुलजिमान को पूर्व में कभी भी देखने से स्पष्ट रूप से इंकार करता है। साथ ही यह गवाह फर्द बरामदगी एवं जब्ती रूपए मुलजिम अर्जुनसिंह प्रपी.4, फर्द बरामदगी एवं जब्ती रूपए मुलजिम रविन्द्रसिंह प्रपी.5, फर्द बरामदगी एवं जब्ती रूपए मय पर्स प्रपी.6 व फर्द बरामदगी एवं जब्ती रूपए मय कागजात प्रपी.7 पर पुलिस द्वारा थाने पर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए जाना स्वीकार करता है।

18. इसके साथ ही अन्य गवाह पी.ड.8 पुष्कर द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षण में मुलजिमान नारायणसिंह को पहचानने से इंकार करते हुए नारायणसिंह से किसी प्रकार का कोई सामान बरामद करने से भी इंकार किया है। साथ ही यह गवाह अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह के दौरान उसके समक्ष पुलिस द्वारा कोई रूपए व मोटर साईकिल जब्त नहीं किए जाना कथित करते हुए फर्द बरामदगी व जब्ती रूपए मुलजिम नारायणसिंह प्रपी.12, फर्द जब्ती मोटर साईकिल प्रपी.14, फर्द बरामगी स्थल मुलजिम

नारायणसिंह प्रपी.15, फर्द बरामगी स्थल मुलजिम उदयसिंह प्रपी.16 पर खाली कागजों पर थाने पर हस्ताक्षर करना स्वीकार करता है।

19. इसके अतिरिक्त अन्य गवाह पी.ड.10 नगेन्द्र भी अपने मुख्य परीक्षण में मुलजिम नारायणसिंह व अर्जुनसिंह को पहचानने से इंकार करते हुए उसके समक्ष नारायणसिंह व अर्जुनसिंह से रूपए, पर्स आदि बरामद किए जाने से इंकार करता है। साथ ही अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह के दौरान फर्द बरामदगी व जब्ती रूपए मुलजिम नारायणसिंह प्रपी.12, फर्द जब्ती प्रपी.14, फर्द बरामगी स्थल मुलजिम नारायणसिंह प्रपी.15, फर्द बरामगी स्थल मुलजिम उदयसिंह प्रपी.16 व फर्द तस्दीक घटना स्थल मुलजिम नारायणसिंह प्रपी.18 पर खाली कागजों पर थाने पर हस्ताक्षर करना स्वीकार करता है। साथ ही गवाह पी.ड.19 संजय सोनी अपने मुख्य परीक्षा में मुलजिम अर्जुनसिंह व रविन्द्रसिंह को पहचानने से इंकार करते हुए उक्त दोनो मुलजिमान् से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं होना कथित करता है तथा अधिवक्ता अभियुक्त की जिरह के दौरान उसके समक्ष किसी प्रकार के कोई रूपए, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस आदि जब्त नहीं किए जाने का कथन करते हुए फर्द बरामदगी एवं जब्ती रूपए मुलजिम अर्जुनसिंह प्रपी.4, फर्द बरामदगी एवं जब्ती रूपए मुलजिम रविन्द्रसिंह प्रपी.5, फर्द बरामदगी एवं जब्ती रूपए मय पर्स प्रपी.6, फर्द बरामदगी एवं जब्ती रूपए मय कागजात प्रपी.7 पर थाने पर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करना स्वीकार करता है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त गवाहान् के बयानों से यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं है कि प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट प्रपी.2 में वर्णित आठ लाख रूपए, पर्स व ड्राईविंग लाईसेंस, लीलाधर के रूपए एवं खलासी मोहन का मोबाईल आदि मुलजिमान् से जब्त किए गए हों अर्थात जब्ती का बिन्दू संदेह से परे प्रमाणित नहीं है।

20. इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड.15 भगवतसिंह व पी.ड.21 घनश्यामसिंह प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी हैं। जिनमें से गवाह पी.ड.15 भगवतसिंह के द्वारा अधिवक्ता अभियुक्तगण की जिरह के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा दौराने अनुसंधान जिन साक्षियों के बयान लिए गए हैं उनमें से किसी भी व्यक्ति ने घटना कारित करने वाले

व्यक्तियों के नाम, पते, उम्र व हुलिए आदि के बारे में कोई कथन नहीं किया है। इसके साथ ही गवाह पी.ड.21 घनश्यामसिंह जो प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में मुलजिमान् द्वारा लीलाधर व मोहन के साथ लूट कारित करने की घटना प्रमाणित मानकर अभियुक्तगण अर्जुनसिंह, रविन्द्रसिंह, नारायणसिंह व उदयसिंह के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए जाने का कथन किया है। किन्तु उक्त गवाह के द्वारा अधिवक्ता अभियुक्तगण की जिरह के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट प्रपी.2 में घटना कारित करने वाले किसी भी व्यक्ति के नाम, उम्र व हुलिए का अंकन नहीं है। साथ ही यह गवाह यह भी कथन करता है कि जिन मकानात से उसने रूपए जब्त किए हैं, उक्त मकानों की मिल्कियत के संबंध में उसने कोई भी दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किया।

21. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त साक्ष्य का समग्रता से अवलोकन किया जाए तो प्रार्थी पी.ड.2 मुकेश, चश्मदीद गवाहान् पी.ड.3 लीलाधर, पी.ड.6 मोहन व जब्ती के गवाहान् गवाह पी.ड.4 गिरधारी, पी.ड.8 पुष्कर, पी.ड.10 नगेन्द्र, पी.ड.19 संजय के द्वारा न्यायालय में यह साक्ष्य नहीं दी गई है कि मुलजिमान् अर्जुनसिंह, रविन्द्रसिंह व नारायणसिंह के द्वारा ही लीलाधर व मोहन के साथ मारपीट कर उन्हें भय में डालकर आठ लाख रूपए, मोबाईल व दस्तावेज ले जाकर लूट कारित की हो व उक्त रूपए, मोबाईल व दस्तावेज अभियुक्तगण अर्जुनसिंह, रविन्द्रसिंह व नारायणसिंह के कब्जे से बरामद हुए हो। इसके साथ ही बरामदगी स्थल किसके कब्जेशुदा था, यह तथ्य अभियोजन पक्ष के बयानों से प्रमाणित नहीं हुआ है अर्थात बरामदगी के संबंध में श्रृखलाबद्ध साक्ष्य का अभाव है।

22. अतः प्रकरण के तथ्यो, परिस्थितियों को देखते हुए अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि **अभियुक्तगण अर्जुनसिंह, रविन्द्रसिंह व नारायणसिंह ने दिनांक 07.04.2015 को रात्री में 02.30 आरक्षी केन्द्र चारभुजा के क्षेत्र नीमडी के लोग मार्ग पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचते हुए**

वाहन संख्या आर.जे.30 जीए 2220 के आगे मोटर साईकिल लगाकर वाहन चालक लीलाधर व खलासी मोहन के साथ मारपीट कर गाडी में रखे 08 लाख रूपए, लीलाधर का पर्स, 500/– रूपए, लाइसेंस आदि उनकी सम्मति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर लूट कारित की हो। अतः अभियुक्तगण अर्जुनसिंह, रविन्द्रसिंह व नारायणसिंह अपराध अंतर्गत धारा 394,120बी भा.द.सं. के आरोपों में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

:: आ दे श ::

23. अभियुक्तगण (1) अर्जुनसिंह पुत्र श्री चैनसिंह, निवासी– वागरोदा की बावडी, थाना मावली जिला उदयपुर (2) रविन्द्रसिंह पुत्र श्री मनोहरसिंह, निवासी– वागरोदा की बावडी, थाना मावली हॉल कर्मचारी कोलोनी तहसील रोड, नाथद्वारा एवं (3) नारायणसिंह पुत्र श्री सोहनसिंह, लिम्बावास, थाना खेरोदा जिला उदयपुर को आरोपित अपराध धारा 394,120बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

24. अभियुक्तगण धारा 437ए दं.प्र.सं. के तहत दस–दस हजार रुपये के जमानत मुचलके पेश करें जो छः माह की अवधि के पश्चात् स्वतः निष्प्रभावी माने जावें। **पत्रावली में अभियुक्त उदयसिंह मफरूर है इसलिए पत्रावली के सरबरक पर नोट अंकित किया जाए कि अभियुक्त मफरूर होने से पत्रावली का कोई भी भाग जाया नहीं किया जावे।**

(ममता सैनी)

25. निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ममता सैनी)